SAFALTA CLASS™

An Initiative by अमर उजाला

INDIAN POLITY BY-
SUJEET BAJPAI SIR

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमर उजाला

→ Parts + CA + Source + Sch. +

> Interim Cabinet =

→ Preamble + FR + DPSP

> Women

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमरउजाला

स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल (1947)

क्र.	सदस्य	धारित विभाग
1.	पं. जवाहरलाल नेहरू	प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले, वैज्ञानिक शोध
2.	सरदार वल्लभ भाई पटेल	गृह, सूचना एवं प्रसारण, राज्यों के मामले
3.	डॉ. राजेंद्र प्रसाद	खाद्य एवं कृषि
4.	मौलाना अबुल कलाम आजाद	शिक्षा
5.	डॉ. जॉन मथाई	रेलवे एवं परिवहन
6.	आर. के. षणमुगम शेट्टी	वित्त
7.	डॉ. बी.आर. अंबेडकर	विधि
8.	जगजीवन राम	श्रम
9.	सरदार बलदेव सिंह	रक्षा
10.	राजकुमारी अमृत कौर	स्वास्थ्य
11.	सी.एच. भाभा	वाणिज्य
12.	रफी अहमद किदवई	संचार
13.	डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी	उद्योग एवं आपूर्ति
14.	वी.एन. गाडगिल	कार्य, खान एवं ऊर्जा

14

पहली महिला (के. मं.)

Sl. No.	***Members***	***Portfolios Held***
1.	Jawaharlal Nehru	Prime Minister; External Affairs & Commonwealth Relations; Scientific Research
	Sardar	

2.	Vallabhbhai Patel	Home, Information & Broadcasting; States
3.	Dr. Rajendra Prasad	Food & Agriculture
4.	Maulana Abul Kalam Azad	Education
5.	Dr. John Mathai	Railways & Transport
6.	R.K. Shanmugham Chetty	Finance
7.	Dr. B.R. Ambedkar	Law
8.	Jagjivan Ram	Labour
9.	Sardar Baldev Singh	Defence
10.	Raj Kumari Amrit Kaur	Health
11.	C.H. Bhabha	Commerce
12.	Rafi Ahmed Kidwai	Communication
13.	Dr. Shyam Prasad Mukherji	Industries & Supplies
14.	V.N. Gadgil	Works, Mines & Power

भारतीय संविधान सभा में शामिल महिला सदस्य

AFALTA CLASS™
An Initiative by अमरउजाला

1. विजयलक्ष्मी पंडित ✓✓	9. कमला चौधरी
2. राजकुमारी अमृत कौर ✓✓	10. रेणुका रॉय
3. सरोजिनी नायडू - UP	11. मालती चौधरी
4. सुचेता कृपलानी - UP.	12. दक्षयानी वेलायुदन
5. पूर्णिमा बनर्जी	13. बेगम एजाज रसूल
6. लीला राय	14. ऐनी मस्करीनी
7. जी दुर्गाबाई	15. अम्मू स्वामीनाथन
8. हंसा मेहता	

15

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमर उजाला

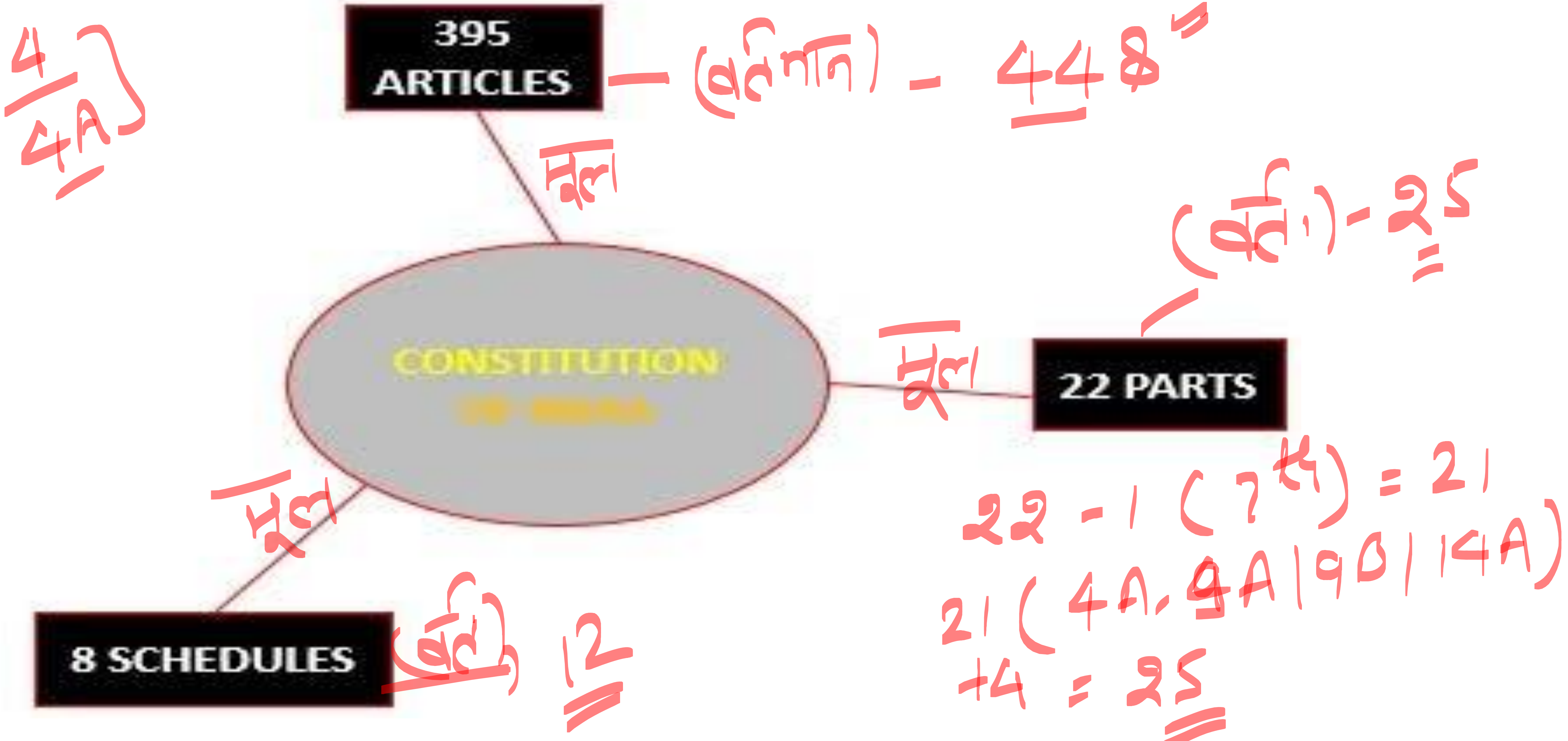
395
ARTICLES
CONSTITUTION
22 PARTS
8 SCHEDULES

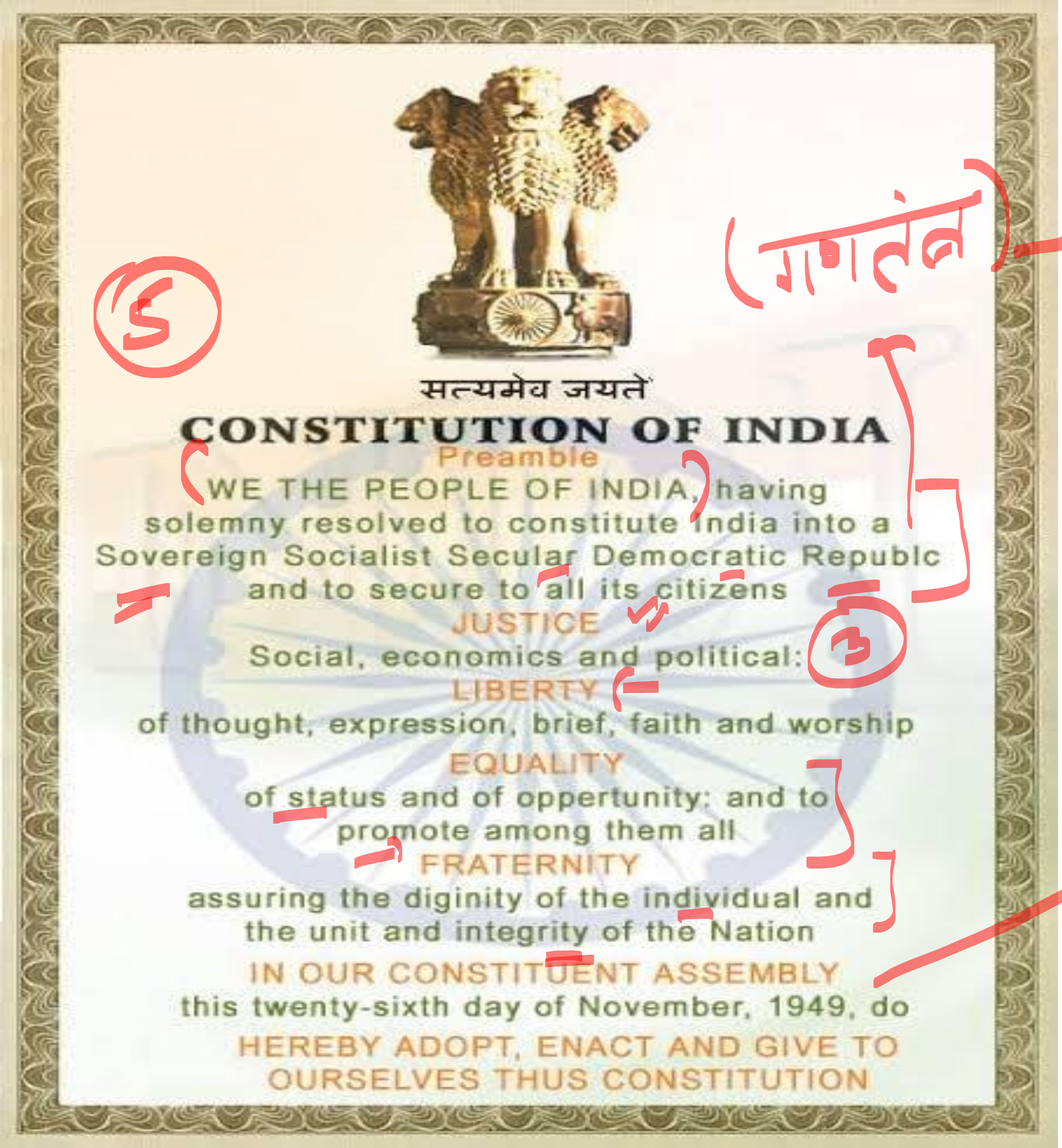

सत्यमेव जयते

CONSTITUTION OF INDIA

Preamble

WE THE PEOPLE OF INDIA, having solemny resolved to constitute India into a Sovereign Socialist Secular Democratic Republic and to secure to all its citizens

JUSTICE

Social, economics and political:

LIBERTY

of thought, expression, brief, faith and worship

EQUALITY

of status and of oppertunity: and to promote among them all

FRATERNITY

assuring the diginity of the individual and the unit and integrity of the Nation

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY

this twenty-sixth day of November, 1949, do

HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THUS CONSTITUTION

(गणतंत्र)

उद्देशिका

26 Nov 1949

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमरउजाला

Ingredients of the Preamble

The Preamble reveals four ingredients or components:

1. Source of authority of the Constitution: The Preamble states that the Constitution derives its authority from the people of India.
2. Nature of Indian State: It declares India to be of a sovereign, socialist, secular democratic and republican polity.
3. Objectives of the Constitution: It specifies justice, liberty, equality and fraternity as the objectives.
4. Date of adoption of the Constitution: It stipulates November 26, 1949 as the date.

→ Berubari Union (1960)
Cpr. ⊗

→ केशवानंद भारती (v/s) State of Kerala
↳ 1973
SC ⇒ Theory of Basic Stre

Preamble as Part of the Constitution

One of the controversies about the Preamble is as to whether it is a part of the Constitution or not.

In the *Berubari Union*[16] case (1960), the Supreme Court said that the Preamble shows the general purposes behind the several provisions in the Constitution, and is thus a key to the minds of the makers of the Constitution. Further, where the terms used in any article are ambiguous or capable of more than one meaning, some assistance at interpretation may be taken from the objectives enshrined in the Preamble. Despite this recognition of the significance of the Preamble, the Supreme Court specifically opined that Preamble is *not* a part of the Constitution.

In the *Kesavananda Bharati* case[17] (1973), the Supreme Court rejected the earlier opinion and held that Preamble *is* a part of the Constitution. It observed that the Preamble is of extreme importance and the Constitution should be read and interpreted in the light of the grand and noble vision expressed in the Preamble. In the *LIC of India* case[18] (1995) also, the Supreme Court again held that the Preamble is an integral part of the Constitution.

Amendability of the Preamble

The question as to whether the Preamble can be amended under Article 368 of the Constitution arose for the first time in the historic case of *Kesavananda Bharati (1973)*. It was urged that the Preamble cannot be amended as it is not a part of the Constitution. The petitioner contended that the amending power in Article 368 cannot be used to destroy or damage the basic elements or the fundamental features of the Constitution, which are enshrined in the Preamble.

42nd
1976

42nd Amendment

- Known as 'mini constitution'
- Act passed by parliament on 11th November 1976.
- Three new words (i.e., socialist, secular and integrity) were added in the Preamble.
- Fundamental Duties by the citizens (new Part IV A) was added.

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमर उजाला

Union of India (भार. संघ)

- Narrow
- Only States

<

Territory of India (संघ राज्य क्षेत्र)

- Broad
- States + UT + Acq. Area

According to Article 1, the territory of India can be classified into three categories:

1. Territories of the states
2. Union territories
3. Territories that may be acquired by the Government of India at any time.

The names of states and union territories and their territorial extent are

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमर उजाला

Art. 1 (India that is (Bharat)

shall be union of States

expl. → Sch. 1 ← (राज्य + UT)

IA CLASS™
An Initiative by अमरउजाला

Dhar Commission and JVP Committee

The integration of princely states with the rest of India has purely an ad hoc arrangement. There has been a demand from different regions, particularly South India, for reorganisation of states on linguistic basis. Accordingly, in June 1948, the Government of India appointed the Linguistic Provinces Commission under the chairmanship of S K Dhar to examine the feasibility of this. The commission submitted its report in December 1948 and recommended the reorganisation of states on the basis of administrative convenience rather than linguistic factor. This created much resentment and led to the appointment of another Linguistic Provinces Committee by the Congress in December 1948 itself to examine the whole question afresh. It consisted of Jawaharlal Nehru, Vallahbhai Patel and Pattabhi Sitaramayya and hence, was popularly known as JVP Committee[6]. It submitted its report in April 1949 and formally rejected language as the basis for reorganisation of states.

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमरउजाला

1953 - Cog. - ✓ Sri Ramulu

~~53~~ 56

↓

AP - भाषा के आधार

However, in October 1953, the Government of India was forced to create the first linguistic state, known as Andhra state, by separating the Telugu speaking areas from the Madras state. This followed a prolonged popular agitation and the death of Potti Sriramulu, a Congress person of standing, after a 56-day hunger strike for the cause.

" फजल अली

आयोग

Fazl Ali Commission

The creation of Andhra state intensified the demand from other regions for creation of states on linguistic basis. This forced the Government of India to appoint (in December 1953) a three-member States Reorganisation Commission under the chairmanship of Fazl Ali to re-examine the whole question. Its other two members were K M Panikkar and H N Kunzru. It submitted its report in September 1955 and broadly accepted language as the basis of reorganisation of states. But, it rejected the theory of 'one language–one state'. Its view was that the unity of India should be regarded as the primary consideration in any redrawing of the country's political units. It identified four major factors that can be taken into account in any scheme of reorganisation of states:

2.	Admission or establishment of new states
2A.	Sikkim to be associated with the Union—(Repealed)
3.	Formation of new states and alteration of areas, boundaries or names of existing states
4.	Laws made under Articles 2 and 3 to provide for the amendment of the First and the Fourth Schedules and supplemental, incidental and consequential matters.

SAFALTA CLASS
An Initiative by अमर उजाला

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक [1][संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य] बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक **न्याय,**

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म

और उपासना की **स्वतंत्रता,**

प्रतिष्ठा और अवसर की **समता**

प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन **सब में**

व्यक्ति की गरिमा और [2]**[राष्ट्र की एकता**

और अखंडता] सुनिश्चित करने वाली **बंधुता**

बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर **अपनी इस संविधान सभा में** आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. को **एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।**

---

1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) ''प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) ''राष्ट्र की एकता'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमर उजाला

प्रस्तावना के तत्व

प्रस्तावना में चार मूल तत्व हैं:

1. **संविधान के अधिकार का स्त्रोत:** प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिगृहीत करता है।
2. **भारत की प्रकृति:** यह घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राजव्यवस्था वाला देश है।
3. **संविधान के उद्देश्य:** इसके अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व संविधान के उद्देश्य हैं।
4. **संविधान लागू होने की तिथि:** यह 26 नवंबर, 1949 की तिथि का उल्लेख करती है।

संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना

प्रस्तावना को लेकर एक विवाद रहता है कि क्या यह संविधान का एक भाग है या नहीं।

बेरूबाड़ी संघ मामले (1960)[16] में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान में निहित सामान्य प्रयोजनों को दर्शाता है और इसलिए संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के लिए एक कुंजी है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद में प्रयोग की गई व्यवस्थाओं के अनेक अर्थ निकलते हैं। इस व्यवस्था के उद्देश्य को प्रस्तावना में शामिल किया गया है। प्रस्तावना की विशेषता को स्वीकारने के लिए इस उद्देश्य के बारे में व्याख्या करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है।

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमर उजाला

केशवानंद भारती मामले (1973)[17] में उच्चतम न्यायालय ने पूर्व व्याख्या को अस्वीकार कर दिया और यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। यह महसूस किया गया कि प्रस्तावना संविधान का अति महत्वपूर्ण हिस्सा है और संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित महान विचारों को ध्यान में रखकर संविधान का अध्ययन किया जाना चाहिए। एल.आई.सी. ऑफ इंडिया मामले (1995)[18] में भी पुन: उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है।

प्रस्तावना में संशोधन की संभावना

क्या प्रस्तावना में संविधान की धारा 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। यह प्रश्न पहली बार ऐतिहासिक केस केशवानंद भारती मामले (1973) में उठा। यह विचार सामने आया कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि यह संविधान का भाग नहीं है। याचिकाकर्ता ने कहा कि अनुच्छेद 368 के जरिए संविधान के मूल तत्व व मूल विशेषताओं, जो कि प्रस्तावना में उल्लेखित हैं, को ध्वस्त करने वाला संशोधन नहीं किया जा सकता।

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमर उजाला

हालांकि उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। न्यायालय ने अपना यह मत बेरूवाड़ी संघ (1960) के तहत दिया और कहा कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है, बशर्ते मूल विशेषताओं में संशोधन नहीं किया जाए। दूसरे शब्दों में, न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना में निहित मूल विशेषताओं को अनुच्छेद 368[20] के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता।

अब तक प्रस्तावना को केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत संशोधित किया गया है। इसके जरिए इसमें तीन नए शब्दों को जोड़ा गया—समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता। इस संशोधन को वैध ठहराया गया।

अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को तीन श्रेणियों में बाँटा जा सकता है:

(1) राज्यों के क्षेत्र

(2) संघ क्षेत्र

(3) ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहीत किया जा सकता है।

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमर उजाला

धर आयोग और जेवीपी समिति

देशी रियासतों का शेष भारत में एकीकरण विशुद्ध रूप से अस्थायी व्यवस्था थी। इस देश के विभिन्न भागों, विशेष रूप से दक्षिण से मांग उठने लगी कि राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन हो। जून, 1948 में भारत सरकार ने एस.के. धर की अध्यक्षता में भाषायी प्रांत आयोग की नियुक्ति की। आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर, 1948 में पेश की। आयोग ने सिफारिश की कि राज्यों का पुनर्गठन भाषायी कारक की बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। इससे अत्यधिक असंतोष फैल गया, परिणामस्वरूप कांग्रेस द्वारा दिसंबर, 1948 में एक अन्य भाषायी प्रांत समिति का गठन किया गया। इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल और पट्टाभिसीतारमैया शामिल थे, जिसे जेवीपी समिति[6] के रूप में जाना गया। इसने अपनी रिपोर्ट अप्रैल, 1949 में पेश की और इस बात को औपचारिक रूप से अस्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा होनी चाहिए।

SAFALTA CLASS™
An Initiative by अमरउजाला

हालांकि अक्तूबर, 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर पहले राज्य के गठन के लिए मजबूर होना पड़ा, जब मद्रास से तेलुगू भाषी क्षेत्रों को पृथक कर आंध्रप्रदेश का गठन किया गया। इसके लिए एक लंबा विरोध आंदोलन हुआ, जिसके अंतर्गत 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद एक कांग्रेसी कार्यकर्ता पोट्टी श्रीरामुलु का निधन हो गया।

फज़ल अली आयोग

आंध्र प्रदेश के निर्माण से अन्य क्षेत्रों से भी भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग उठने लगी। इसके कारण भारत सरकार को (दिसंबर 1953 में) एक तीन सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग, फज़ल अली की अध्यक्षता में गठित करने के लिए विवश होना पड़ा। इसके अन्य दो सदस्य थे—के.एम. पणिक्कर और एच. एन. कुंजरू। इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश की और इस बात को व्यापक रूप से स्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिये। लेकिन इसने 'एक राज्य एक भाषा' के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। इसका मत था कि किसी भी राजनीतिक इकाई के पुनर्निर्धारण में भारत की एकता

अनुच्छेद संख्या	विषयवस्तु
1.	संघ के क्षेत्र का नाम
2.	नये राज्यों का नामांकन अथवा स्थापना
2A.	सिक्किम संघ के साथ सम्बद्ध (निरस्त)
3.	नये राज्यों की स्थापना तथा मौजूदा राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा अथवा नामों में परिवर्तन
4.	अनुच्छेद 2 एवं 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिनके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची एवं पूरक, आनुषंगिक एवं अनुवर्ती (Consequential) मामलों में संशोधन किया जा सके।

Don’t Forget to Like / Comment & Share this video

www.Youtube.com/safaltaclass

www.Facebook.com/safaltaclass

www.Instagram.com/safaltaclass

Google Play Store

SAFALTACLASS